

संचिका संख्या:-4प/ग्रांकस्था-80-02/2023/...290...../पंरा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ०७/०१/२०२५

विषय:- ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 66 दिनांक 01.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र में माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के नियोजन हेतु दिनांक 07.01.2025 से तिथि निर्धारित की गयी थी। अपरिहार्य कारणों से विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को संशोधित करते हुए निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है:-

क्र०सं०	विषय	निर्धारित तिथि
1	ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की अवधि	15.01.2025 से 29.01.2025
2	आवेदन पत्रों की स्कूटनी/मेधा-अंकों के आधार पर पैनल तैयार किये जाने की अवधि	30.01.2025 से 07.02.2025
3	नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि	08.02.2025 से 13.02.2025
4	अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट/प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किये जाने की अवधि	15.02.2025 से 01.03.2025
5	आपत्तियों का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि	03.03.2025 से 10.03.2025
6	नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि	11.03.2025 से 18.03.2025

2. विभागीय पत्रांक 66 दिनांक 01.01.2025 द्वारा निर्गत शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेगा।

Chand

3. अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2014 एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली, 2007 के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)

निदेशक

ज्ञापांक:-4प/ग्रा०क०स्था०-80-02/2023/290/प०रा०, पटना, दिनांक 07/01/2025
प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)

निदेशक

06/01/25

03/01/2025

संचिका संख्या:-4प/ग्रा०क०स्था०-80-02/2023/.....66...../पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,
आनन्द शर्मा, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक ०१/०१/२०२५

विषय:- ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग:- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय का पत्रांक 1977 दिनांक 21.08.2024
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र में माध्यम से ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 की कंडिका-6(2) में निहित प्रावधान- खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख-रखाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन विहित प्रपत्र (अनुसूची-1) में पंचायती राज विभाग द्वारा विहित रीति से केवल ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे, के संबंध में विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

उल्लेखनीय है कि सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है:-

क्र०सं०	विषय	निर्धारित तिथि
1	ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने की अवधि	07.01.2025 से 21.01.2025
2	आवेदन पत्रों की स्कूटनी/मेधा-अंकों के आधार पर पैनल तैयार किये जाने की अवधि	22.01.2025 से 31.01.2025
3	नियोजन समिति के सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदन की कार्रवाई हेतु निर्धारित अवधि	01.02.2025 से 05.02.2025
4	अनुमोदित मेधा सूची को ग्राम कचहरी के सूचना पट/प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शित कर उस पर आपत्ति प्राप्त किये जाने की अवधि	06.02.2025 से 20.02.2025

4

5	आपत्तियों का निराकरण एवं पुनः स्वच्छ पैनल तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु निर्धारित अवधि	21.02.2025 से 28.02.2025
6	नियोजन पत्र निर्गत करने हेतु निर्धारित अवधि	01.03.2025 से 07.03.2025

- (i) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग द्वारा website बनाकर सभी जिलों को उपलब्ध कराया जा रहा है। खुलापन एवं पारदर्शिता तथा अभिलेखों के उचित रख-रखाव हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
- (ii) वैसे जिला जिनके द्वारा ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु offline आवेदन लिए गये हैं, उन्हें निरस्त कर ऑनलाईन आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।
- (iii) ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु समाचार पत्रों एवं अन्य संसाधनों का उपयोग कर व्यापक प्रचार-प्रसार की जाए।
- (iv) उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा में अगर किसी स्तर पर विलंब होता है तो संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- (v) जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समय सीमा में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करायेंगे। साथ ही वेबसाइट से संबंधित किसी भी तरह के जानकारी/समन्वय हेतु श्री गोविन्द चौधरी, उप सचिव, पंचायती राज विभाग से सम्पर्क करेंगे।

अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में ग्राम कचहरी सचिव (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2014 एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2007 के अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ग्राम कचहरी सचिव/न्यायमित्र के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन

(आनन्द शर्मा)

निदेशक

दिनांक: 01/01/2025

ज्ञापांक:-4प/ग्रा०क०स्था०-80-02/2023/66...../प०रा०,

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द शर्मा)

निदेशक


समाहरणालय, सहरसा

E- Mail ID:-dprosaharsa1@gmail.com

(जिला पंचायत कार्यालय)

ज्ञापांक.....09...../पं०, दिनांक.....03/01/2025

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि सामाचार पत्र में प्रकाशन करना सुनिश्चित करेंगे।


03.01.2025
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
सहरसा।